



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112023-250281
CG-DL-E-28112023-250281

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4843]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2023/अग्रहायण 7, 1945

No. 4843]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2023/AGRAHAYANA 7, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2023

का.आ. 5052(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात् द पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जिसे सामान्यतः पीएलए कहा जाता है तथा इसके राजनीतिक विंग, द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ), द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र विंग द मणिपुर पीपल्स आर्मी (एमपीए), द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके) तथा इसकी सशस्त्र विंग “द रेड आर्मी”, द कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसकी सशस्त्र विंग, जिसे “रेड आर्मी” कहा जाता है, द कांगली याओल कान्वा लुप (केवाईकेएल), द कोर्डिनेशन कमेटी (कॉरकॉम) और द एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेइपाक (एएसयूके) को इनके सभी गुटों, स्कंधो और अग्रणी संगठनों सहित ‘विधिविरुद्ध संगम’ घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मेधि की अध्यक्षता में “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है।

[फा. स. 11011/3/2023-एन ई -V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2023

S.O. 5052(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes “The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Shri Justice Sanjay Kumar Medhi, Judge of the Gauhati High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Meitei Extremist Organizations of Manipur, viz the Peoples’ Liberation Army generally known as PLA, and its political wing, the Revolutionary Peoples’ Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF) and its armed wing, the Manipur Peoples’ Army (MPA), the Peoples’ Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the “Red Army”, the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the “Red Army”, the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), the Coordination Committee (CorCom) and the Alliance for Socialist Unity Kangleipak (ASUK) along with all their factions, wings and front organizations as ‘Unlawful Associations’.

[F. No.11011/03/2023-NE-V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.